(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा सुरक्षा प्रबन्धों पर कितनी राशि खर्च की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) वर्ष 1991–92 के दौरान संसद के 82 सांसदों को दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। सुरक्षा कार्मिकों, वाहनों आदि पर 2.38 करोड़ रुपए (लगभग) खर्च किया गया।

दिल्ली के लिए विधान सभा

258. श्रीमती सुषमा स्वराज :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अप्रैल, 1992 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "दिल्ली टु हैव 69 मेम्बर असेम्बली" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली के लिये प्रशासनिक ढांचे संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रस्ताव के अन्तर्गत विद्युत और जल प्रदाय तथा मल व्ययन विभागों को दिल्ली नगर निगम के कार्य-क्षेत्र से अलग करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो नगर निगम को सौंपे जाने वाले कार्यों और दायित्वों का ब्यौरा क्या है और क्या यह भी सच है कि इस प्रस्तावित ढांचे के कारण प्रशासनिक व्यय में भी वृद्धि होगी और यदि हां, तो वर्तमान प्रशासनिक व्यय की तुलना में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये विधान सभा और मंत्रि परिषद् की व्यवस्था करने के लिये संविधान (69 वां संशोधन) अधिनियम 1991 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये सरकार अधिनियम 1991 की अधिनियमित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये सरकार अधिनियम 1991 की धारा 3 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की कुल सदस्य संख्या 70 होगी।

(ग) और (घ) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती जिलों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि

259. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री रणजीत सिंह :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलादेश से निरन्तर घुसपैठ होने के कारण पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती जिलों, विशेष रूप से नादिया जिले की जनसंख्या वृद्धि की दर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान जनसंख्या वृद्धि की राष्ट्रीय दर की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नादिया जिले की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश के इसी समस्या से ग्रस्त अन्य जिलों के संबंध में जानकारी मांगी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर "हां" हो तो उन स्थानों के नाम क्या-क्या है जिनकी जनसंख्या में विदेशी घुसपैठ के कारण अपेक्षाकृत

अधिक वृद्धि हुई है और सरकार इस समस्या से निपटने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) बंगलादेश के साथ लगने वाले पश्चिम बंगाल के जिलों और भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर निम्न प्रकार है :

जिला	वृद्धि दर (1981—91)
कूच बिहार	21.82 प्रतिशत
जलपाईगुड़ी	25.96 प्रतिशत
दार्जीलिंग	30.40 प्रतिशत
पश्चिम दीनाजपुर	30.25 प्रतिशत
मालदा	29.63 प्रतिशत
मुर्शिदाबाद	28.04 प्रतिशत
नादिया	29.82 प्रतिशत
उत्तरी 24-परगना	31.66 प्रतिशत
दक्षिणी 24-परगना	30.08 प्रतिशत
अखिल भारतीय	23.56 प्रतिशत

(ग) और (घ) जिन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर बंगला देश के राष्ट्रिकों द्वारा घुसपैठ किये जाने का अनुमान है, वे असम, त्रिपुरा, बिहार के भाग मणिपुर, नागालैण्ड तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली है।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा की जा रही निगरानी तथा राज्य पुलिस द्वारा पता लगाने के कार्य में विदेशियों की घुसपैठ की रोकथाम तथा "मोबाईल टास्क फोर्स" नामक योजनाओं के अधीन स्वीकृत बलों द्वारा सहायता की जाती है, के अतिरिक्त किए गए निम्नलिखित उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में पहचान-पत्र जारी करने की योजना को स्वीकृति देना, भारत-बंगलादेश सीमा की संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क निर्माण और बाड़ लगाने की परियोजना का कार्य करना, बंगलादेश में स्थित भारतीय उच्च आयोग द्वारा बंगलादेश के नागरिकों द्वारा वीजा जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पत्रों की बारीकी से जांच करना तथा बंगलादेशी राष्ट्रिकों का भारत में ठहरने की अवधि बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को प्राप्त अधिकारों की संख्ा में करना शामिल है।

अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए समिति

260. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री रणजीत सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में रह रहे अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उनको स्वदेश वापस भेजने की कार्रवाई का सुझाव देने के लिए हाल ही में एक मंत्री स्तर की समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति में शामिल किए गए मंत्रालयों और उनके प्रतिनिधियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या समिति द्वारा इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने सरकार को अब तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सीमा पर कंटीले तार लगाया जाना

261. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा